MESSAGES FROM RAJYA SABHA

Secretary: Sir, I have to report the following two messages received from the Secretary of Rajya Sabha:

(i) "In accordance with the provisions of rule 125 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha, at its sitting held on the 22nd November, 1956, agreed without any amendment to the Union Territories (Laws) Amendment Bill, 1956, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 15th November, 1956."

(ii) "In accordance with the provisions of rule 125 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 22nd November, 1956, agreed without any amendment to the Manipur (Village Authorities in Hill Areas) Bill, 1956, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 14th November, 1956."

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

FORTY-THIRD REPORT

The Minister of Parliamentary Affairs (Shri Satya Narayan Sinha): I beg to move:

"That this House agrees with the Forty-third Report of the Business Advisory Committee presented to the House on the 23rd November, 1956".

Mr. Speaker: The question is:

"That this House agrees with the Forty-third Report of the Business Advisory Committee presented to the House on the 23rd November, 1956."

The motion was adopted.

PAPER LAID ON THE TABLE

STATEMENT RE. ROAD TRANSPORT CORPORATIONS (AMENDMENT) ORDINANCE

The Deputy Minister of Railways and Transport (Shri Shahnawaz Khan): On behalf of Shri Lal Bahadur Shastri, I beg to lay on the Table a copy of the explanatory statement giving reasons for immediate legislation by the Road Transport Corporations (Amendment) Ordinance, 1956, (No. 8 of 1956) as required under Rule 89 (1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha. [*See* Appendix II, annexure No. 80.]

FARIDABAD DEVELOPMENT CORPORATION BILL—*contd.*

Mr. Speaker: The House will now take up the further consideration of the following motion moved by Shri J. K. Bhonsle on the 23rd November, 1956;

"That the Bill to provide for the establishment and regulation of a trading Corporation for the purpose of carrying on and promoting trade and industry in the town of Faridabad, assisting in the rehabilitation of displaced persons settled therein and for matters connected therewith, be taken into consideration."

पंडित ठाकुर दास भार्गव : (गुड़गांव) : जनाब स्पीकर साहब, फरीदाबाद डेवेलपमेंट कारपोरेशन (विकास निगम) के बारे में मैं ने कुछ बातें चन्द रोज़ पहले अर्ज़ की थीं । मैं ने उस वक्त अर्ज़ किया था कि मुझे दो चार बातें और कहनी हैं । इस सिलसिले में मैं उन अशखास (लोगों) का कुछ थोड़ा सा जिक्र कर चुका हूं, जो कि बोर्ड के एम्प्लाईज़ (कर्मचारी) हैं । मैं निहायत अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि ऐसे मामले में जब कभी कोई कार्पोरेशन बनती है या कोई नई संस्था वजूद (अस्तित्व) में आती है, तो उससे मुताल्लिक़ बिल में आम तौर पर यह लिखा होता है कि जो पहले के मुलाज़-

मीन हैं, उन की तन्ख्वाहें और उन के हक़ूक सब के सब कायम रखे जायेंगे । मैं ने २३ नवम्बर को भी अर्ज़ किया था कि बोर्ड के एम्प्लाईज़ का मामला अब भी गवर्नमेंट के सामने पेंडिंग (विचाराधीन) पड़ा हुआ है और उस के मुताल्लिक़ एक बड़ी भारी फाइल बनी हुई हैं, जिस में यह सवाल उठाया गया है कि उन के हक़ूक़ क्या हैं और क्या वे गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स हैं, वग़ैरह । मुझे यह मालूम है कि बोर्ड के एम्प्लाईज़ यह जद्दोजहद करते रहे हैं कि उन के हक़ूक गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स के हक़ूक के बराबर माने जायें । इस बिल में मैं यह पाता हूं कि बोर्ड के सारे एसेट्स (परिसम्पत्त) और लायबिलीटीज़ (दायिता) इस कार्पोरेशन को मिल गये हैं और कार्पोरेशन को बोर्ड का सक्सेसर (उत्तराधिकारी) बनाया गया है । यह बिल्कुल वाजिब है । मैं आनरेबिल मिनिस्टर साहब की खिदमत में यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि मेहरबानी फ़रमा कर वह एक एशोरेंस (आश्वासन) दें कि बोर्ड के जितने एम्प्लाईज़ हैं, उन की तन्ख्वाहों, उनके हक़ूक़, स्टैंडिंग (सेवा काल) और स्टेट्स (पद) में बमुकाबिल पहले के कोई फ़र्क़ नहीं पड़ेगा । स्टेट बैंक से मुताल्लिक़ बिल में एक ऐसा ही प्राविज़न (उपबन्ध) मौजूद था और इसी तरह से, जहां तक मुझे याद है, जो नई इन्श्योरेंस कार्पोरेशन (बीमा निगम) बनी, उस के लिये जो बिल लाया गया, उस में भी ऐसे प्राविज़न मौजूद थे कि पुराने एम्प्लाईज़ के हक़ूक़ कायम रहेंगे । मैं यह चाहता हूं कि जब कि यह कार्पोरेशन एक सरकारी कार्पोरेशन के तौर पर कायम की जा रही है, तो उस सूरत में उन एम्प्लाईज़ के हक़ूक बिल्कुल ऐसे ही होने चाहियें, जैसे कि गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स के हैं । मैं चाहूंगा कि चूंकि गवर्नमेंट आफ इंडिया इस कार्पोरेशन को बना रही है, इस लिये उन एम्प्लाईज़ के हक़ूक़ गवर्नमेंट आफ़ इंडिया के सर्वेन्ट्स के हक़ूक़ के मुताबिक़ हों और इस सिलसिले में उन को एशोरेंस दी जाये ।

कुछ अरसा हुआ, बोर्ड ने कुछ इंडस्ट्रीज़ (उद्योगों) को कुछ प्रोईवेट आदमियों को ट्रांसफर (हस्तान्तरित) कर दिया और वे वर्कमैन (कामगर) भी, जो कि उन इंडस्ट्रीज़ में काम करते थे, ट्रांसफर हो गये । उन के हक़ूक़ भी कायम रखे जायें । लेकिन उन इंडस्ट्रीज़ में कुछ क्लार्क्स थे और कुछ ऐसे काम करने वाले थे, जो कानूनन वर्कमैन की डेफीनीशन (परिभाषा) में आते हैं, लेकिन उन प्राईवेट लोगों ने, जिन को गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रीज़ ट्रांसफर (हस्तान्तरित) कर दी थीं, उन क्लार्क्स और दूसरे आदमियों को हटा दिया और उन को वर्कमैन करार नहीं दिया । वे बेचारे बहुत दुखी थे और उन्होंने बहुत जद्दोजहद की, लेकिन उस का कोई नतीजा नहीं निकला । मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि ऐसे वर्कमैन में, जो हाथ से काम करते हैं और जिन को क्लैरिकल या कोई दूसरा काम करना होता है, जब कानूनन कोई फ़र्क़ नहीं है, तो कोई वजह-नहीं है कि उन अशखास के हक़ूक का ख्याल न किया जाय । यह मामला ऐसा है, जिस के बारे में मैं ने कोई अमेंडमेंट (संशोधन) तो नहीं दी है, क्योंकि मैं जानता हूं कि आनरेबल मिनिस्टर साहब इस को बिल्कुल सिम्पथैटीकली (सहानुभूतिपूर्वक) देखेंगे और उन अशखास का पूरा ख्याल ज़रूर रखेंगे, जो कि बोर्ड के मातहत हैं और हम को यह एशोरेंस देंगे कि उन को रिट्रैंच (छंटनी) नहीं किया जायगा । आपका काम तो रिहैबिलिटेशन (बसाना) करने का है । अगर आप ही रिट्रेंचमेंट करने चलेंगे तो उनका कौन वली वारिस होगा । इसलिये मैं चाहूंगा कि जो एश्योरेंस देने के लिये मैं ने ज़ोर दिया है उसको मिनिस्टर साहब देंगे ।

दूसरी बात जो मैं ने अर्ज़ की थी उसके बारे में मैं थोड़ा सा और अर्ज़ करना चाहता हूं । वह यह कि जब आपने इसको एक कारपोरेशन बनाया है और इसका काम रखा

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

है रिहैबिलिटिशन करना और लोगों को काम देना और उनको दूसरी एमेनिटीज़ (सुविधायें) देना, तो सवाल यह पैदा होता है कि आप इस काम को किस तरह करें ।

जहां तक हाउसिंग (गृह व्यवस्था) का सवाल है वहां पर आपने ५१५८ मकानात तामीर कराये जिनमें से ४५०० मकानात आपने लोगों को दे दिये । अभी ६०० मकानात वहां पर पड़े हुये हैं जो कि किसी को नहीं दिये गये हैं । मुझ को बतलाया गया है, मैं नहीं जानता कि यह कहां तक दुरुस्त है, कि पिछली जनमअष्टमी को आनरेबल मिनिस्टर साहब और हमारे कांग्रेस के प्रेसीडेंट साहब वहां तशरीफ़ ले गये थे और वहां पर एक जलसा हुआ था और उस जलसे में आनरेबिल मिनिस्टर साहब ने लोगों को कहा था कि यह जो बाक़ी मकानात हैं उनको भी हम लोगों को देंगे । मुझे मालूम नहीं कि यह कहां तक दुरुस्त है, लेकिन मैं ने अब सुना है कि यह डिकलेअर (घोषित) किया गया है कि उन मकानात को आक्शन किया जायेगा । मैं अर्ज़ करता हूं कि अगर आनरेबल मिनिस्टर साहब एश्योरेंस दे चुके हैं तो उन मकानात को आक्शन (नीलाम) न किया जाये और जिस तरह से पहले गवर्नमेंट ने क्लेम्स के बदले लोगों को मकानात दिये थे उसी तरह से और लोगों को दिये जायें क्योंकि आपको तो उन लोगों को बसाना है और बसाने का यह बेहतरीन तरीक़ा है । इस के अलावा ऐसा करने से आनरेबल मिनिस्टर साहब ने जो एश्योरेंस दिया है वह भी पूरा हो जायेगा ।

इसी तरह से वहां पर कुछ ज़मीनें पड़ी हुई हैं जिन पर मकानात बन सकते हैं । वहां पर जो लोग बसाये गये थे उनके बहुत से रिश्तेदार भी वहां आ गये हैं और उनके साथ बस गये हैं और वह मकानात उन सब के वास्ते काफी नहीं हैं । उनको इस वजह से तंगी है । इसलिये अगर वे बिल्डिंग साइट्स (गृह निर्माण के लिये ज़मीनें) उनको दे दी जायें तो वे अपने मकाम बना सकते हैं । अगर ऐसा किया जाये तो निहायत मुनासिब होगा और आपका मतबलब भी पूरा हो जायेगा । आपने करोड़ों रुपये की इमारतें डिस्प्लेस्ड परसन्स (विस्थापित व्यक्तियों) को दी हैं और इस तरह से गवर्नमेंट ने उन के साथ बहुत जेनेरासिटी (सहानुभूति) दिखायी है । मैं चाहता हूं कि वह जेनेरासिटी कायम रहे और जो लोग वहां बसे हुये हैं उनको यह कंसेशन दिया जाये ताकि वे मकानात बना सकें और रह सकें ।

12.43 HRS

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

इसी तरह से दुकानों के बारे में भी मुझे अर्ज करना है कि दुकानों की हालत बहुत खराब है । चार सौ या पांच सौ लकड़ी के खोखे बने हुये हैं जो कि अब पुराने हो गये हैं । अब वक्त आ गया है कि उनको हटाकर बिल्ट शाप्स (बनी हुई दुकानें) लोगों को दी जायें ।

इसी के साथ साथ मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि वहां पर जो एक होइज़री फैक्टरी इस सिलिसिले में बनायी गयी थी जब कि आपने कोआपरेटिव इंडस्ट्रीज़ (सहकारी उद्योग) मेसर्स चट्टोपाध्याय के साथ शुरू की थी, वह फैक्टरी फेल हो गयी और सारा रुपया जो आपका लगा था वह लोगों के काम में न आ सका और जाया हो गया । अब मैं चाहता हूं कि वहां पर काटेज इंडस्ट्रीज़ (घरेलू उद्योग) कायम की जायें ताकि लोगों को पक्का काम मिले और देश का भी भला हो । मुझे मालूम है कि थोड़ा अर्सा हुआ कि भोंसले साहब जापान तशरीफ़ ले गये थे और वहां से इंडस्ट्रीज़ के बारे में

स्टडी (अध्ययन) करके आये थे और उन्होंने इस काम के लिये मिनिस्ट्री से कुछ रुपया भी अलाहिदा लिया है । यह काम मुनासिब किया गया है । इस वक्त जब कि फरीदाबाद का दूसरा ही कायापलट होकर नया जिस्म बन रहा है वहां पर काटेज इंडस्ट्रीज कायम की जायें । अगर वहां पर अम्बर चर्खे का सेंटर (केन्द्र) बन सके तो वह भी कायम किया जाये ताकि लोगों को काम मिल सके । या जैसी मोदी नगर में स्पिनिंग (कताई) मिल है उसी तरह की कोई मिल वहां कायम की जाये । उसको गवर्नमेंट खुद कायम करे और आहिस्ता आहिस्ता उसको कोआपरेटिव बेसिस (सहकारी आधार) पर ले आवे और उन लोगों को उसका हिस्सेदार बनादे । । अगर ऐसा हो तो और भी ज्यादा मुनासिब होगा ।

इस मामले में न तो मुझे बहुत ज्यादा तजर्बा है और इसलिये मैं और ज्यादा सजेशन (सुझाव) भी नहीं रखना चाहता लेकिन मैं यह जरूर चाहता हूं कि ऐसा न हो कि वहां पर जो काम हो उसकी क्रीम तो कैपीटलिस्ट (पूंजीपति) लोग ले जायें और जो वहां के लोग हैं उनको मजदूर बनाये रखें । यह मुनासिब नहीं होगा । गवर्नमेंट खुद कोआपरेटिव बेसिस पर फैक्टरी बनावे । देश में इस तरह के कारखाने और जगह कायम किये गये हैं । उसी बेसिस पर अगर वहां भी फैक्टरी बनायी जाये तो जिन लोगों को आप फायदा पहुंचाना चाहते हैं उनको फायदा पहुंचेगा ।

मैं एक चीज के बारे में और खास तौर पर जिक्र करना चाहता हूं । वहां के लोगों को काम देने की जो भी कोशिश आपसे हो सकती थी वह आपने की है । उसके करने में आपने दरेग नहीं किया । मुझे मालूम है कि आप वहां से मजदूरों को लारी से यहां लाते हैं । लेकिन मैं आपसे अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि यह जो किस्सा है वह बहुत दुःखदायी है । आपको ३७ रुपया एक लारी पर खर्च बैठता है जिसमें १८ मजदूर आते हैं और जाते हैं । इस तरह से आप एक मजदूर पर दो रुपया रोज खर्च करते हैं । लेकिन उनको यहां जो मजदूरी मिलती है वह डेढ़ रुपया रोज होती है और कभी वह भी नहीं मिलती । ऐसी हालत में अगर उन मजदूरों को वहां रख कर डेढ़ रुपया रोज दे दिया जाये तो ज्यादा बेहतर होगा । मैं आपकी तारीफ करता हूं कि आपने डेसपेरेशन (मजबूरी) में उनको काम देने को हर तरह की कोशिश की । लेकिन ऐसा करने में एक मजदूर पर आपका दो रुपया रोज खर्च होता है और उस मजदूर को या तो यहां डेढ़ रुपया रोज मिलता है या कभी वह बेकार भी चला जाता है । गो-कि इस मामले में मैं आपकी तारीफ किये बगैर नहीं रह सकता, लेकिन यह नेशनल मनी (राष्ट्रीय धन) का वेस्ट (बर्बादी) है । इसलिये मैं अदब से अर्ज करूंगा कि कोई ऐसा तरीका निकाला जाये कि जिसके अन्दर यह सूरत पैदा न हो और इस तरह रुपया जाया न हो ।

एक बात मैं और अर्ज करना चाहता हूं । मुझ तक यह शिकायत पहुंची है कि वहां पर जो अस्पताल हैं उनम गरीब आदमियों को इंजेक्शन और दवा मिलने का ठीक इन्तिजाम नहीं है । जो गवर्नमेंट के आफिसर्स हैं और जो बड़े बड़े आदमी हैं उनको तो दवा ठीक से मिल जाती है लेकिन गरीब आदमियों को नहीं मिलती । यह शिकायत कोई खास फरीदाबाद की ही नहीं है । यह शिकायत सब जगह है । लेकिन चूंकि आप फरीदाबाद को एक माडल टाउन (आदर्श नगरी) बनाना चाहते हैं इसलिये मैं अर्ज करूंगा कि वहां पर इस चीज का भी पूरी तरह लिहाज रखा जाये ।

मैं ने बहुत से सजेशन दे दिये हैं । मैं नहीं जानता कि इनमें से कितनों को माना जायेगा । लेकिन मैं आपको मुबारकबाद

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

देता हूं कि आपने फरीदाबाद को चुना । मैं अदब से अर्ज़ करूंगा कि जो चीजें इस बिल में लिखी हैं मुझे उनका कोई खास क्रिटिसिज्म (आलोचना) नहीं करना है । मैं यह ऐश्योरेंस ज़रूर चाहता हूं, जैसा कि मैं ने पहले अर्ज़ किया, कि बहुत से लोग जो कि प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ में क्लर्क वग़ैरह थे और जो कि अभी तक भागते फिरते हैं उनका भी कोई इन्तज़ाम हो जायेगा । अगर ऐसा हो सकें तो बहुत बेहतर होगा ।

श्री गिडवानी (थाना) : मैं इस बिल की ताईद (समर्थन) करता हूं जो कि फरीदाबाद में कारपोरेशन बनाने के लिये, वहां की तरक्की करने के लिये, वहां इंडस्ट्रीज़ (उद्योग) बढ़ाने के लिये और वहां के लोगों को रोज़गार देने के लिये लाया गया है । इस टाउन (नगर) को बने करीब नौ साल हो चुके और वहां की जनसंख्या, जैसा कि पंडित ठाकुर दास भार्गव साहब ने कहा, २३ हज़ार है । यानी वहां पर साढ़े चार हज़ार परिवार हैं । अगर मैं गलती नहीं करता तो इन आठ नौ बरसों में इन पर सरकार ने ७ करोड़ रुपया खर्च किया है । इसमें से साढ़े तीन करोड़ तो लोन (ऋण) है और २८ लाख की गवर्नमेंट हर साल ग्रांट (अनुदान) देती है । इस में यह कहा गया है कि यह ग्रांट तीन साल और भी चलेगी । पीछे इसको कम किया जायेगा । अगर इन सारे फैमिलीज़ (परिवारों) को यह सात आठ करोड़ रुपया एक साथ दे दिया जाता तो न मालूम फी फैमिली क्या हिसाब लगता, लेकिन मैं समझता हूं कि हर फैमिली को हज़ारों की तादाद में रुपया मिलता और उससे वे अच्छी तरह से बस जाते । अब भी अगर उनको सारा रुपया दे दिया जाये तो वह अच्छी तरह से बस जायें । अभी यह बतलाया गया है कि हर साल साढ़े पांच लाख रुपया सबसिडी (आर्थिक सहायता) के तौर पर खर्च होता है । यह रुपया लोगों को फरीदाबाद से दिल्ली लाने ले जाने के ट्रांसपोर्ट (परिवहन) पर खर्च होता है ।

एक आदमी को वहां फरीदाबाद से यहां पर लाने में उन्होंने बतलाया कि शायद २ रुपये लगते हैं । मुझे पता नहीं है कि वे कहां तक ठीक हैं और दो रुपये पड़ते हैं या १ या डेढ़ रुपये पड़ते हैं....

पंडित ठाकुर दास भार्गव : आप हिसाब बैठा लीजिये । ३७ रुपये हर (प्रति) लारी पड़ते हैं जिसमें १८ आदमी आते हैं ।

श्री गिडवानी : ठीक है । अब आप ही बतलाइये कि इतना रुपया उनको यहां लाने पर खर्च किया जाता है और अक्सर उनको काम भी नहीं मिलता है और वे शाम को खाली फरीदाबाद लौट जाते हैं ।

मुझे अफसोस है कि पिछली दफा मैं ने जो इस सम्बन्ध में लोक सभा में सवाल उठाया था उसके बारे में बाहर काफी चर्चा हुई और मुझे गलत ढंग से बाहर पेश किया गया । जो कुछ बाहर मेरे बारे में कहा गया और जो असर फरीदाबाद के लोगों पर डाला गया, उसका मैं ज़िक्र यहां नहीं करना चाहता लेकिन मुझे अफसोस ज़रूर है कि जब कोई आदमी कुछ कहना चाहता है आज के ज़माने में जिसको कि जम्हूरियत (प्रजातन्त्र) का ज़माना कहा जाता है, और जिस डेमोक्रेसी (प्रजातन्त्र) की एक सुन्दर मिसाल आज हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने क़ायम की कि ग़लती जिस की न भी हो लेकिन अगर गलती भी समझी जाये तो भी मंत्रियों और वज़ीरों को बुरा नहीं मानना चाहिये । मैं ने उस दफा इस बात की नुक्ताचीनी की थी कि टेंडर्स नहीं मंगाये जाते या रुपया फिज़ूल खर्च होता है या जो खर्च होता है वह इस तरीक़े से खर्च नहीं होना चाहिये, इसके लिये यह कहते फिरना कि मैं रेफ्यूजीज़ (विस्थापित व्यक्तियों)

के खिलाफ़ हूं क्योंकि मैं दूसरे सूबे का हूं, इस तरह की चर्चा करना कितना मेरे साथ अन्याय है। इस समय मैं इसकी बाबत ज्यादा जिक्र नहीं करना चाहता लेकिन सबसिडी फ़रीदाबाद के लोगों को दी जाती है तो मैं ज़रूर पूछूंगा कि फरीदाबाद के अलावा और इतने सारे रेफ्यूजी टाउनशिप्स (विस्थापितों की बस्तियां) हैं जसे कि पटियाले के करीब राजपुरा है उसके हालात से मैं ज्यादा वाकिफ़ नहीं हूं लेकिन बम्बई से ४० मील दूर कायम रेफ्यूजी टाउनशिप की बाबत बतलाऊं जहां कि मेरे सूबे सिंघ के करीब १ लाख लोग बसते हैं। वहां पर १० हजार आदमी रोज आते हैं और हमारे मिनिस्टर साहब आज से दो महीने पहले खुद वहां पर गये थे और उन्होंने खुद फरमाया था कि वाक़ई यहां के रहने वालों का बड़ा बुरा हाल ह। वहां पर एक लाख की बस्ती है। लोगों की तन्दुरुस्ती ठीक नहीं रहती। वहां के लोगों के दवादारू और इलाज के लिये अभी तक गवर्नमेंट की तरफ़ से जो पुराना मिलेटरी का अस्पताल है वही चल रहा है, टी० बी० अस्पताल भी नज़दीक़ है और एक टी० बी० फैक्टरी सा लगता है। वहां पर अभी तक काफी इंडस्ट्रीज़ क़ायम नहीं की गई हैं, नई नई इंडस्ट्रीज़ स्टार्ट (प्रारम्भ) करने की कोशिश हो रही है लेकिन वाक़या यह है कि अभी तक बहुत कम इंडस्ट्रीज़ वहां पर चल पाई हैं। वहां के लोगों को कोई सबसिडी नहीं मिलती है। फ़रीदाबाद में हमारे ग़रीब और मुसीबतज़दा भाई बसते हैं, उनको मदद मिले और सबसिडी मिले यह अच्छी बात है लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि अगर पांच हज़ार फैम्लीज़ पर ७, ८ करोड़ रुपया खर्च हो चुका है, मुझे ठीक नहीं मालूम कि कितना खर्च हुआ है लेकिन उन्होंने ही हमें शायद ऐसा बतलाया था......

Shri Nand Lal Sharma (Sikar): On a point of order, Sir. Is it an argument against the subsidy being given to the Faridabad Corporation or is it the subject under consideration?

Mr. Deputy-Speaker: How could that be a point of order?

Shri Nand Lal Sharma: Is that the subject under consideration?

श्री गिडवानी : मैं ने तो यही कहा है कि जहां इतना ज्यादा रुपया खर्च किया जा रहा है तो यह देखना चाहिये कि वाक़ई वह ठीक तौर पर खर्च हो रहा है कि नहीं। अगर फरीदाबाद के लोगों को सबसिडी दी जाती है तो ठीक है, अच्छी बात है ज़रूर दी जाये, मैं उसकी मुखालफ़त नहीं करता लेकिन जैसा कि हमारे भाई लाला अचिन्त राम ने कहा कि अगर पांच हज़ार फैम्लीज़ पर इतना खर्चा होने के बाद भी वह नहीं बस सके तो आप खुद समझ सकते हैं कि दूसरी रेफ्यूजीज़ कौलोनीज़ में क्या हालत होगी और हमारा कहना है कि उधर भी सरकार की तवज्जह होनी चाहिये, यही मेरे कहने का मतलब था कि वहां के लोगों की हालत की तरफ़ भी सरकार को ध्यान देना चाहिये और खुद हमारे मिनिस्टर श्री मेहरचन्द खन्ना ने वहां की खराब हालत को देखा और उसके बाद उन्होंने कुछ अफसरान भी वहां भेजे थे, अब पता नहीं उन्होंने क्या तजवीजें रक्खी हैं और उन पर क्या अमल हो रहा है। मैं अपने मित्र श्री नन्द लाल शर्मा को बतलाना चाहता हूं कि यह जो रुपये की इमदाद हमारे बदक़िस्मत भाइयों को मिल रही है उसकी कीमत ही क्या है उन लोगों के सामने जिन्होंने कि अपना सब कुछ बर्बाद करवा दिया। मेरे कहने का मतलब यही था कि इसी तरह की नज़र हमारी दूसरे कैम्पों पर भी होनी चाहिये लेकिन मैं यह ज़रूर कहूंगा कि जो खर्चा होता है उसकी पाई पाई ठीक ढंग पर खर्च हो और उसके लिये टेंडर्स ज़रूर मंगाये जायें और उसके ठेके ठीक से दिये जायें। जो खर्चा हो चुका

श्री गिडवानी]

वह तो हो चुका और जैसा कि पंडित ठाकुर दास भार्गव ने बतलाया और मैं समझता हूं कि उसमें शायद मिनिस्टर साहब का कोई कसूर नहीं था कि जो एक कोआपरेटिव यूनियन बनाई गई थी उसमें गालिबन् २४ करोड़ रुपया या ४८ करोड़ रुपया बर्बाद हो गया, इसके बारे में सही जानकारी मंत्री महोदय दे सकेंगे। मैं ने सुना है कि बाक़ी जो सामान है उसको चूहे खा गये हैं। सरकार को यह कहने को तो हो जाता है कि उसने इतने करोड़ रुपये हम रेफ्यूजीज़ पर खर्च कर दिये लेकिन दरअसल उनका सही उपयोग नहीं होता है और रुपया बर्बाद जाता है और इसीलिये हम चाहते हैं कि जो भी रुपया दिया जाये वह ईमानदारी से खर्च किया जाये और साथ ही किफायत से और ठीक ढंग से रेफ्यूजीज़ पर खर्च करना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि जैसा कि पंडित ठाकुर दास भार्गव ने बतालया कि वहा पर बहुत से ऐसे छोटे छोटे मुलाज़िम क्लर्क लगे हैं जो कि हालांकि रिटायर्ड हो गये हैं और जिनको पेंशन मिलती हैं लेकिन उनको तनख्वाह भी मिलती है। इसके अलावा वहां पर ऐसे भी मुलाज़िम रक्खे गये हैं जो कि न तो एम्प्लायमेंट एक्सचेंज (काम दिलाऊ दफ्तरों) की मार्फत आये हैं और न ही जिनकी नियुक्ति पब्लिक सर्विस कमिशन (लोक सेवा आयोग) के द्वारा हुई है। अब वहां पर अगर इस तरह से नियुक्तियां होती हैं और लोगों को पेंशन भी मिलती हैं और तनख्वाहें भी मिलती हैं तो सरकार को उधर दृष्टि करनी चाहिये और इस खराबी को दूर कर देना चाहिये। जो पक्के मुलाज़िम हैं और जिन्होंने कि वर्षों काम किया है उनको हर किस्म की सहूलियत देनी चाहिये और उनकी मुक़र्ररी (नियुक्ति) पक्के तरीक़े से करनी चाहिये लेकिन जो ऐसे ही मुक़र्रर किये गये हैं जिनकी कि मियाद वैसे ही खत्म होने वाली है या जो रिटायर्ड हैं और जिनको पेंशन भी मिलती हैं और तनख्वाह भी मिलती है, तो दोनों तरफ से उनको नहीं मिलना चाहिये। जो न्याय और क़ानूनी तौर पर सही हो उसके मुताबिक़ हमें काम करना चाहिये।

तीसरी चीज़ मैं इंडस्ट्रीज़ की बाबत यह कहना चाहता हूं कि दो तीन किस्म की इंडस्ट्रीज़ चल सकती हैं। जहां तक बड़ी इंडस्ट्रीज़ का ताल्लुक़ है मैं पंडित ठाकुर दास भार्गव की इस बात को मानता हूं कि शायद बड़ी इंडस्ट्रीज़ सरकार के लिये काफी तादाद में खोलना मुश्किल है लेकिन जैसा कि उन्होंने सरकार को यह सुझाव दिया कि उसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ (छोटे पैमाने के उद्योगों) की तरफ ज्यादा तवज्जह देनी चाहिये और उनको पापुलराइज़ (लोकप्रिय) करना चाहिये ताकि इस तरह के छोटे छोटे धंधे चल सकें और वे लोग हमेशा के लिये रोज़गार पा सकें और अपना गुज़र बसर कर सकें।

मैं इस मौके पर ज्यादा समय नहीं लेना चाहता फिर भी मैं मिनिस्टर साहब से यही कहूंगा कि मैं चाहता हूं कि वे उन दुखी और मुसीबतज़दा भाइयों को आराम पहुंचाने और उनकी तकलीफों को दूर करने के लिये जितने भी रुपये की ज़रूरत हो उसको सर्फ करने में न हिचकें, यह तो सही है कि वह लातादाद रुपया नहीं खर्च कर सकते और वे उतना ही खर्च करेंगे जितना कि उनकी जेब में होगा लेकिन वह हमेशा उन लोगों के साथ हमदर्दी का रवैया बनाये रक्खें।

चूंकि इस बिल की सीमा महदूद (सीमित) है, मैं बहुत बातों में नहीं जाना चाहता। ताहम मैं इस मौक़े पर उल्हासनगर में जो एक कान्फ्रेंस हुई थी और जिसमें कि बहुत से रेज़ोलूशंस (संकल्प) पास हुये

थे और आपको वे प्रस्ताव भेजे गये थे और बतलाया गया था कि वहां की हालत बड़ी दर्दनाक है और उसके लिये आपने कुछ अफसरान को भी भेजा था लेकिन अभी तक जैसा काम होना चाहिये था नहीं हो पाया है और मैं चाहता हूं कि उधर मिनिस्टर साहब फौरन ध्यान दें । वहां पर बिजली पहुंचाने के बारे में भोंसले साहब ने बड़ी कोशिश की और बड़ी रियायतें भी दी थीं लेकिन अभी तक वह काम नहीं हो पाया है । मेरी शिकायत यह है कि इस तरह के इमदादी कामों में इतनी ज्यादा देर नहीं लगनी चाहिये और जब हम ऐसे कामों में वर्षों लगते देखते हैं तो यही कहना पड़ता है : "ता तिरयाक अज़उराक़ आवर्दा शबद मारगुज़ीदह मुर्दाशिवद", जिसका कि मतलब यह हुआ कि जब तक दवा आये तब तक मरने वाला मर जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिये और तेजी और जल्दी से और हमदर्दी के साथ यह काम होना चाहिये । मैं और ज्यादा न कर कर इस बिल का समर्थन करता हूं ।

Shri M. K. Moitra (Calcutta North West): Sir, I rise to support this Bill. While supporting this Bill, it strikes me that when the Government with its paraphernalia of a legal department formed the old Faridabad Board, it escaped their notice that they had formed a Board which could neither sue nor be sued. I do not know how such a loophole could find its place in this.

Government have got a big Legal Department and whenever such a body is constituted they should see that that body should be capable of suing and being sued.

Mr. Deputy-Speaker: Such Corporations should be body corporate.

The Minister of Rehabilitation (Shri Mehr Chand Khanna): The hon. Memmer is referring to the past body.

Shri K. K. Basu (Diamond Harbour): Money has already been spent.

Shri M. K. Moitra: But they have set up such a Board that it can neither be sued nor sue.

Mr. Deputy-Speaker: We are thinking of the past mistakes in order to be more careful for the future.

Shri M. K. Moitra: I am just pointing these out to Government.

Previous speakers have welcomed the Bill and have suggested that more such corporations should be established in other places also. The House knows that this problem of refugees remains a sorrowful chapter in our history. These refugees had to leave their hearth and home and had to come here; all of us know the troubles they had to undergo for settling themselves here. They had to run from pillar to post and post to pillar for some help for rehabilitation and I must say that the help given to them was not sufficient.

Mr. Deputy-Speaker: Is it intentionally that they had to run from post to pillar, while normally one runs from pillar to post?

Shri M. K. Moitra: I am glad that you interrupted: in the case of the refugees it is the reverse.

Mr. Deputy-Speaker: That is exactly what I wanted to know, whether it was deliberate, the reversal of the normal course.

Shri Mehr Chand Khanna: The difference is between East and West.

Shri M. K. Moitra: I am coming to the East.

While welcoming the Faridabad Corporation Bill, I wish that some such Corporation Bill for the refugees from East Pakistan should have been brought before the House simultaneously with this Bill. About sixty lakhs of refugees have come from East Pakistan; several townships have been formed, such as Habra, Taherpur and Fulia but no such corporations have been set up. You know how the affairs of these townships are managed. The refugees have to make

repeated visits to Auckland House for loans, only to be negatived at last. They go there day after day for help and at last their applications are refused. If only such corporations had been established in localities where refugee townships have sprung up, their condition would have somewhat improved and they would have got an opportunity to rehabilitate themselves by taking to industries.

I am glad of the measures proposed to be taken under this Bill to rehabilitate the refugees. It is necessary that new industries should sprung up to help them to rehabilitate themselves. I except to hear from the hon. Minister that such steps will be taken for the refugees of East Pakistan also.

Coming to the Bill before the House, the Statement of Objects and Reasons says that Government want to set up an autonomous body. I have scanned through this Bill, but do not find even an iota of that autonomy. I would in this connection refer the House to subclauses (1) and (2) of clause 5.

> "(1) The term of office and conditions of services of the Chairman and other members shall be such as may be prescribed;
>
> (2) The Chairman or any other member may resign his office by writing, etc."

Clause 4 says—

> "The Corporation shall consist of a Chairman and such other members being not less than four and not more than eight, as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint."

So it is clear from clause 4 that the Government will appoint the members of the Corporation; there is no elective measure introduced. While Government professes to convert this society into a socialist pattern of society, we would expect in the measures brought forward by them provisions which would encourage the early realisation of that goal. Where is the process of democratisation here? Government takes the responsibility of appointing all the members of the Corporation. How will they be appointed? It has not been stated. Probably they will be nominated, may be from among the refugees, may be from among officials. This has not been clearly stated here. We would like to know from Government whether they would introduce some sort of democratic measures, some sort of elective measures, so that the representatives of the refugees may find some place in the Corporation.

Then Government have made provision for appointment of an Administrative Officer in clause 12.

> "There shall be an Administrator of the Corporation who shall be appointed by the Central Government."

What will be his relation with the Corporation? Will he be a super-Chairman, or a super-official, who will control this Corporation? This has not been stated in this Bill. And so much undefined powers have been given to this Administrator that it will never help Government in developing the socialist pattern of society.

Mr. Deputy-Speaker: The hon. Member complained of autonomy ingrafted into that body and he now complains of too much power being given.

Shri M. K. Moitra: I did not complain of autonomy. I said that the Statement of Objects and Reasons says that it was the intention of Government to set up an autonomous body. They have brought forward this Bill to set up a statutory body, but have not taken any step to democratise it. That was what I was pointing out.

Shri Mehr Chand Khanna: May I draw the attention of the hon. Member to clause 2(e)?

Shri M. K. Moitra: Clause 2(e) says—

> "(e) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act."

Who will make the rules? That is what I want to know from the hon. Minister. We are also interested to know whether in the rules any elective measures would be provided.

Now I come to the question of audit. Clause 25(2) says—

> "The accounts of the Corporation shall be audited at such times and such manner as may be prescribed."

It is not clearly mentioned in the Bill, who will appoint these auditors or who will be the auditors. Will the Corporation appoint some private auditors to audit their accounts, or will they be audited by Government? We want that this audit should take place under the control and supervision of the Auditor-General of India, because it will be almost a Government body and its accounts should be audited under the supervision of the Auditor-General.

Now, clause 24 says—

> "The Corporation shall prepare in such form and at such time each year as may be prescribed an annual report giving a true and full account of its activities, etc., etc."

We would press that this report should be placed before Parliament so that Members of Parliament may get an opportunity to know how this new Corporation is being worked and how many refugees have been rehabilitated and what help they have given to the refugees to rehabilitate themselves. We are anxious to know these things. We would like to hear from the hon. Minister whether he is prepared to place the annual reports before the House.

I will voice my support to the suggestion made by Pandit Bhargava that the employees who have been working in the Board should be taken over by the new corporation. He has very nicely pointed out that the object of the Bill is to rehabilitate the refugees and that it is necessary that the officers and employees now working on the board should not be retrenched or left in the lurch. We know the condition of the insurance workers. After the Insurance Corporation has been formed, the salaries of the insurance workers have been reduced. That example should not be followed here. Only very few have been working here and their service conditions and emoluments should not be adversely affected. With these suggestions, I support this Bill.

श्री नन्द लाल शर्मा :

नमोऽस्तु रामाय च लक्ष्मणाय
देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै ।
नमोऽस्तु रुद्रेन्द्र यमानिलेभ्यो
नमोऽतु चन्द्रार्क मरुद्गणेभ्य : ।।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, फरीदाबाद विकास निगम के सम्बन्ध में जो विधेयक आज इस सदन के सम्मुख उपस्थित हुआ है मैं उसका स्वागत करता हूं । मुझे प्रसन्नता है कि हमारे पुनर्वास मंत्रालय को आज यह चिन्ता हुई कि फरीदाबाद का प्रबन्ध ठीक तरह से नहीं हो सकता और उसका प्रबन्ध ठीक किया जाना चाहिये । यह भी मैं मानता हूं कि उत्तरदायित्व जिन के कंधों पर होता है उनकी अपनी कठिनाइयां होती हैं और जो टीका टिप्पणी करने वाले होते हैं वे बड़ी आसानी से टीका टिप्पणी कर देते हैं । उनकी भी अपनी कठिनाइयां होती हैं जिन के कारण वे ठीक तरह से प्रबन्ध नहीं कर पाते । लेकिन कई वर्षों के बाद आज उनको इस बात का ध्यान आया कि वहां का प्रबन्ध ठीक तरह से नहीं हो रहा है और उन्होंने फरीदाबाद डिवेलेपमेंट कारपोरेशन के नाम से यह विधेयक यहां उपस्थित किया है । यह तो भविष्य ही बतायेगा कि इस कारपोरेशन के स्थापित होने के बाद फरीदाबाद के निवासियों का कष्ट दूर हुआ है या नहीं

[श्री नन्द लाल शर्मा]

परन्तु जैसा कि अभी गिडवानी जी ने कहा कि फरीदाबाद ही नहीं और भी कितने ही टाउनशिप्स हैं जहां के निवासी दुखी हैं और उनके दुख दूर करने की भी कोशिश होनी चाहिये । मैं तो सरकार की उस नीति से ही असहमति प्रकट करता हूं जिसका अनुसरण करते हुये जहां जहां उसने उत्पीड़ितों को बसाया वहां वहां उसने इस बात का कोई ध्यान नहीं रखा कि वहां उनके खाने पीने का भी कोई साधन उपलब्ध होगा या नहीं । जहां जहां भी टाउनशिप्स बसाये गये हैं उनमें प्रयत्न यह किया गया है कि किसी कारण से अथवा किन्हीं कारणों से कि इनको बस्तियों से दूर जा कर बसाया जाये । इसका परिणाम यह हुआ है कि इन उत्पीड़ितों के पास उतना धन नहीं है अथवा इतना बल नहीं है कि वे बार बार नगर में आ सकें और वहां पर ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है जहां पर काम करके ये लोग अपनी आजीविका चला सकें । फरीदाबाद में यही समस्या आपके सामने उपस्थित हुई । वहां पर जिन लोगों को बसना था वे बस तो गये लेकिन उनके पास कोई साधन नहीं थे और रोटी कमाने का कोई जरिया नहीं था । रहने के लिये उनको मकान तो दे दिये गये लेकिन अभी तक यह नहीं निश्चय हो सका कि वे लोग खायें क्या ? यद्यपि वहां पर दो चार इंडस्ट्रियल केन्द्र, औद्योगिक केन्द्र, स्थापित करने का प्रयत्न किया गया, बाटा आदि ने भी वहां पर अपना कार्य आरम्भ किया, परन्तु इससे समस्या सुलझ न सकी और आज इस कारपोरेशन को स्थापित करने की आवश्यकता पड़ी ।

अभी आपने हमारे बन्धु से यह बात सुनी और मैं इस बात पर विशेष बल देता हूं कि कारपोरेशन के सम्बन्ध में यह निश्चत नहीं किया गया है कि उसमें कुछ निर्वाचन का अधिकार रहेगा या नहीं । जहां तक मुझे याद पड़ता है कि वोटिंग सिस्टम (मतदान प्रथा) तो चल रहा है और एडमिनिस्ट्रेटर (प्रशासक) जिसे एग्जेक्टिव आफिसर (कार्यकारी अधिकारी) बनाया गया है उसको वोटिंग का अधिकार तो नहीं दिया गया परन्तु जो एग्जेक्टिव आफिसर होगा उसके क्या क्या अधिकार होंगे इसके बारे में यहां पर कोई भी बात निश्चित रूप में नहीं कही जा सकती है । इतना ही इसमें कहा गया है कि वह कमेटियों में भाग ले सकेगा परन्तु वोट नहीं दे सकेगा । इसके आगे क्या क्या कार्य कर सकेगा इसके बारे में कोई निश्चित सी बात नहीं कही गई है । मैं निवेदन करता हूं कि जैसे यह सुझाव दिया गया है कि उत्पीड़ितों को भी उसमें प्रतिनिधित्व दिया जाये, इसको मान लिया जाये । मैं यह भी चाहता हूं कि इस कारपोरेशन में पार्लियामेंट का भी यदि प्रतिदिधित्व दिया जाये तो यह भी अनुचित नहीं होगा ।

पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : यह प्रतिनिधि कोहाट का हो या पेशावर का ?

श्री नन्द लाल शर्मा : मैं यह नहीं कहता कि कोहाट का हो या पेशावर का हो । जो भी वहां पर रहता हो और जिसका उनके साथ सम्बन्ध हो उसको ले लिया जाय ।

लाला अचिन्त राम (हिसार) : दोनों ही हो जायें ।

श्री नन्द लाल शर्मा : इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता । मैं तो केवल इतना ही चाहता हूं कि सिद्धान्त तय हो जाने चाहिये कि संसद् का भी उसमें एक प्रतिनिधि होना चाहिये ।

एक दूसरी बात की ओर भी मैं संकेत करना चाहता हूं । अभी हमारे गिडवानी जी ने कुछ वैयक्तिक संकेत किये । मैं उन वैयक्तिक संकेतों से सहमत नहीं हूं । मैं ये साफ कह देना चाहता हूं कि अभी तक उत्पी-

ड़ित व्यक्तियों का विश्वास श्री खन्ना साहब से उठा नहीं है । उनको खन्ना साहब से बड़ी आशायें हैं । परन्तु एक चीज तो मैं कहे बिना रह नहीं सकता और वह चीज केवल इन्हीं के डिपार्टमेंट (विभाग) पर लागू नहीं होती बल्कि समस्त गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स पर लागू होती है । यह एक ऐसी बीमारी है जो सब डिपार्टमेंटस में पाई जाती है । उत्पीड़ित बेचारे हमारे पास रोते हुए आते हैं और अपनी कहानी आकर सुनाते हैं । वे आफिसिस में जाते हैं, चैक तैयार होता है फाइनल सिगनेचर (हस्ताक्षर) नहीं होते । क्लार्क अपने पास किन्हीं कारणों से उसे अपने पास रख छोड़ता है और इन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है । मैं चाहता हूं कि भोंसले साहब अथवा खन्ना साहब जो भी यहां पर हों, क्योंकि इनमें से एक बाहर रहता है, वह अपने मारेल इनफ्लएंस (नैतिक प्रभाव) से, अपने नैतिक प्रभाव से सब प्रकार से काम लें, कि इन बेचारे उत्पीड़ितो को और विशेषकर उनको जो प्रभावशाली नहीं हैं, जो पैसे वाले नहीं हैं और जिन को कोई भी व्यक्ति परेशान कर सकता है जिन को चपड़ासी भी अन्दर जाने नहीं दता है और जिनके सारे काम चौपट पड़े रहते हैं परेशानी न हो । जो पैसे वाले हैं, जिन के कोई सम्बन्धी वहां पर काम करते हैं, जो प्रभावशाली हैं उनको तो किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता है परन्तु यही वे लोग हैं जिनको कष्ट होता है ।

फरीदाबाद की पिछली परिस्थिति क्या रही है । मैं समझता हूं कि चूंकि वहां पर कठिनाइयां अनुभव की गई हैं, इसलिये कारपोरेशन बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है । आपने स्वयं कहा है कि उस बोर्ड की कोई लीगल एंटिटि (वैधानिक अस्तित्व) नहीं थी । इसलिये इस कारपोरेशन को एक लीगल परसन के रूप में स्थापित किया जा रहा है । यह सब कुछ होते हुये भी मैं फिर कहता हूं कि इससे यह निश्चित रूप से पता नहीं चलता है कि आगे क्या होने वाला है, उनके भाग्य में क्या क्या परिवर्तन होने जा रहे हैं । यदि आपके इस परिवर्तन से सचमुच उनके भाग्य में परिवर्तन हुआ तो मुझ से बढ़ कर कोई भी ऐसा व्यक्ति न होगा जो इससे प्रसन्नता अनुभव न करे ।

आपने इसमें कहा है कि आप साढ़े तीन करोड़ रुपया लोन (ऋण) के रूप में बोर्ड को दे चुके हैं । इससे आगे जब मैं देखता हूं तो मुझे पता चलता है कि लगभग २८ लाख रुपया भी रिकरिंग एक्सपेंडिचर (आवर्ती व्यय) के रूप में एडवांस (पेशगी) करने का गवर्नमेंट इरादा रखती है । मैं समझता हूं कि ऐसे टाउनशिप के लिये जहां कि इंडस्ट्रियल डिवेलेपमेंट, (औद्योगिक उन्नति) करने की इतनी ज्यादा सम्भावनायें हों, वहां के लिये इतना रिकरिंग ग्रांट (अनुदान) अधिक न होगा ।

मैं समझता हूं कि हर उस उत्पीड़ित की जो कि भारतवर्ष में कहीं भी बसा हुआ है और उत्पीड़ित की नहीं हर उस व्यक्ति की जो इस परिस्थिति में भारतवर्ष में रह रहा है और दुखी है, उसको रोजी देने का उत्तरदायित्व सरकार के ऊपर आता है और उसकी सहायता करना सरकार का कर्तव्य है । परन्तु यह तर्क फरीदाबाद के विरुद्ध नहीं हो सकता है । इसलिये मैं हृदय से इसका समर्थन करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह पुनर्वास मंत्रालय को बल दे कि वह वास्तविक सहायता उत्पीड़ितों को पहुंचाने के काबिल हो सके ।

सेठ अचल सिंह (जिला आगरा—पश्चिम) : उपाध्यक्ष महोदय, फरीदाबाद डेवेलपमेंट कार्पोरेशन स्थापित करने के उद्देश्य से जो बिल इस सदन में प्रस्तुत किया गया है, मैं उस का स्वागत करता हूं । पार्टीशन (विभाजन) के पश्चात् कई सालों से हमारे हजारों पुरुषार्थी भाई वहां रह रहे हैं । चूंकि वहां पर उन को पूरा काम-धंधा

[सेठ अचल सिंह]

नहीं मिलता है, इसलिये सैकड़ों पुरुषार्थी दिल्ली में काम करने के लिये लाये जाते हैं। इस तरह उन को यहां लाने ले जाने में काफी खर्च होता है। इन परिस्थितियों में अगर वहां पर एक कार्पोरेशन स्थापित हो जाती है, तो वह वहां पर ट्रेड (व्यापार), इंडस्ट्रीज (उद्योग) और बिजनेस (व्यवसाय) को काफी प्रोत्साहन दे सकती है। इस सम्बन्ध में मैं कुछ सुझाव माननीय मंत्री की सेवा में रखना चाहता हूं।

मेरा पहला सुझाव यह है कि कार्पोरेशन को वहां पर विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की सहायता से विभिन्न कारखाने स्थापित करने चाहिये। मिसाल के तौर पर लुधियाना में लूम इंडस्ट्री (करघा उद्योग) बड़ी जबर्दस्त है। हजारों आदमी उससे जीविका पाते हैं और एक आदमी लगभग तीन, चार, पांच रुपये प्रति दिन कमा लेता है। वहां से इस इंडस्ट्री के दो चार जानकार आदमी लाये जायें और उन की सहायता से को-आपरेटिव बेसिस पर लूम के कारखाने खोले जायें। उस में सैकड़ों आदमियों को काम मिल सकता है।

मेरठ के गांधी आश्रम ने कई प्रकार के काम शुरू कर रखे हैं और वह बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रहा है और हजारों व्यक्तियों को रोजी दे रखी है। अगर उस को कुछ सहायता दी जाय और उस को फरीदाबाद में अपनी एक ब्रांच (शाखा) खोलने के लिये कहा जाय और वह वहां अपना काम शुरू कर दे, तो हजारों स्त्री पुरुष काम पर लग सकते हैं। खादी के सम्बन्ध में भी काम जैसे धुनना, कातना, बुनना, छपाई वगैरह तरह तरह के काम आज मेरठ में किये जा रहे हैं, जिससे मेरठ के हजारों आदमियों को खाने को मिलता है।

वहां पर लोहे की ढलाई—कास्टिंग की इंडस्ट्री भी चलाई जा सकती है। आगरा में उस के सैकड़ों कारखाने हैं। फरीदाबाद में यह काम कोआपरेटिव सोसायटी स्थापित कर के या दो चार कारखाने वालों को लोन और दूसरी सहायता दे कर शुरू किया जा सकता है। कुछ सहायता मिलने पर आगरा के कुछ आदमी फरीदाबाद आ सकते हैं और दूसरे लोगों को यह काम सिखा सकते हैं। चूंकि दिल्ली नजदीक है और यहां पर एक बड़ी मार्केट है, इसलिये वहां पैदा किये गये माल की खपत आसानी से हो सकती है।

आज पलवल और वल्लभगढ़ इत्यादि में गल्ले की बड़ी मंडियां हैं। अगर व्यापारियों को मकान, दुकान और दूसरी फैसिलिटीज (सुविधायें) दी जायें, तो वहां पर गल्ले की एक मंडी स्थापित हो सकती है और सैकड़ों हजारों आदमियों की आजीविका की समस्या हल हो सकती है।

इस प्रकार बिजिनेस, ट्रेड और इंडस्ट्रीज वहां पर स्थापित हो सकती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट काफी रुपया कार्पोरेशन को देने जा रही है। जब उद्योगपतियों को व व्यापारियों को क़र्ज़ा, ज़मीन, बिजली, पानी और दूसरी फैसिलिटीज मिलेंगी, तो सैकड़ों कारखानेदार व व्यापारी वहां पर आ जायेंगे और फरीदाबाद के लोगों की आजीविका की समस्या हल हो जायेगी। मैं समझता हूं कि फरीदाबाद तो एक छोटी सी बस्ती है, यह नीति अपनाने से तो बड़ी से बड़ी आबादी की आजीविका का प्रश्न हल हो सकता है।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि मंत्री महोदय खास खास कामों को जानने वाले आदमियों की सहायता लेंगे और उन को फैसिलिटीज देंगे। इस प्रकार वहां की बेकारी दूर होगी और आज कल जो लाखों

रुपये सालाना खर्च करने पड़ते हैं, वे बच जायेंगे और पुरुषार्थी भाई भी अपने पांव पर खड़े हो सकेंगे ।

[PANDIT THAKUR DAS BHARGAVA *in the Chair*]

Shri B. K. Das (Contai): Mr. Chairman, Sir, as we see here, the proposed Corporation has to function as a municipal body as well as a trading body It is intended that it will carry on and promote trade, business and industry for assisting the displaced persons in finding gainful employment. For this purpose a large sum of money has been already placed in the hands of the Development Board. As this Corporation is to take the place of that Board, it will also have to carry on that responsibility.

We find in clause 18 that the Corporation shall repay the amount of capital provided under section 15 and all loans advanced under section 16 with interest. Therefore, I think the Corporation will have to function more as a business concern than as a municipal body, otherwise it will not be possible for the Corporation to carry on its responsibility and ultimately repay such a heavy amount that has been placed at its disposal. Hitherto, as has been pointed out already by several speakers, the liability of the Development Board has been very high. We find that the industrial concerns or the business concerns from which some income will accrue to this Corporation are not running at a profit. If I may refer to the working of the Power House, I find that in 1952-53 the income was Rs. 2,57,288 and its expenditure was Rs. 4,74,877. In the next year, that is in 1953-54 the income was Rs. 2,38,216 and the expenditure was Rs. 6,99,550. I am quoting these figures from a reply given by the Minister for Rehabilitation on 27th April, 1955. I have not got the other figures with me. We find that the loss incurred in 1952-53 was roughly Rs. 2,17,000, but the loss was more than double next year when it came to Rs. 4,61,000. I do not know what is the exact position now.

If this Corporation has to function more as a trading body, which will be saddled with the responsibility of making repayment of the capital placed at its disposal, I do not know whether it will be possible for a Corporation of this kind to bear that responsibility. I would rather prefer that this Corporation should have its functions separate. It might, as an administrative body looking after the municipal needs of the Faridabad settlement, carry on certain kind of responsibility. But, if it has to be successful as a trading concern, or as a body which will itself carry on trade and business with a view to earn some profit so that it may be able to repay the money placed at its disposal by the Government, then I think it should have a whole-time man and a staff of officers who are specialists in that line and who will be able to function in that way.

Here we find that the Chief Executive Officer is the Administrator and, probably, that Administrator will be a man of general administrative experience. He may not have that business experience by which such a Corporation, which will have such a heavy responsibility, will be able to repay the money that has already been placed at its disposal. I am not sure what items at present will be considered as capital expenditure which the Central Government will treat as capital provided to the Corporation. I am not sure what that amount will be. But I should think that it will be something like Rs. 4 crores. That has been the non-recurring expenditure so far and, as stated in clause 15, all non-recurring expenditure incurred by the Central Government and declared as capital by the Government will be the responsibility of the Corporation.

The other day, the hon. Minister said while moving the motion that further loans would be advanced to this Corporation during the coming years. I am not sure what that amount will be. If we take that amount to be something like Rs. 5 crores in total, I do not think that the Corporation, in the

[Shri B. K. Das.]

way it is intended to function in this Bill, will be able to carry on its responsibilities. Of course, the Development Board which has been functioning for these long years has tried its best to do all that is possible for the refugees. Though the position may not be completely satisfactory, still, I should think that in comparison to other places, Faridabad is doing better. But it is a difficult matter to provide shelter, gainful employment, etc. to the refugees so that they can be completely rehabilitated. But this attempt has been a good one, and everybody looks to Faridabad for an example, so that it may be copied eleswhere also.

From that point of view, the establishment of this Corporation in the place of the Board, with statutory authority, is quite welcome. But my doubt is that the functions with which this Corporation is saddled and the functions which it will have to carry out will be much more than its equipment. So, I think that the Corporation should be manned in such a way and should have such powers as will enable it to fulfil the business side of it.

With these words, I welcome this Bill.

The Deputy Minister of Rehabilitation (Shri J. K. Bhonsle): Mr. Chairman, perhaps an impression might have been created in the minds of the hon. Members of this august House by one or two Members who went to the extent of saying that we are spending much more on Faridabad than on other townships. What they have said is not correct. I would later on point out that what we are spending on Faridabad per family is much less than what we are spending in other places So far as the Ministry of Rehabilitation is concerned, we make no discrimination towards the refugees whether they come from the North-West Frontier, or from Sind or from Punjab or from the East. They are all the same, and the Government goes into the question of their rehabilitation in a manner that is appropriate. According to the particular situation and according to a particular place, the expenditure incurred may be a little more or a little less, but certainly there is no discrimination whatsoever so far as the refugees as a whole are concerned.

Unfortunately, my hon. friend Shri Gidwani has given rather a wrong impression to the House saying that the Government has so far spent Rs. 7 crores. Actually, I must say that it is not his fault. The wording in the book which we have issued should have been corrected. It should read as follows:

> "The Faridabad Development Board is being given a recurring grant of about Rs. 28 lakhs per annum with effect from 1st October, 1952 to meet the expenditure on municipal services, health, eduaction, cash doles to the inmates of the Women's Home, infirmary, relief camps, etc., which may be installed to provide temporary employment for the unemployed adults of Faridabad".

It should not have been left blank after the words "per annum".

Therefore, I would like to make it clear, as I said the other day, that so far, the Government have advanced a sum of Rs. 372 lakhs only, and the actual amount advanced as loan to the Board is Rs. 252 lakhs. The balance of Rs. 120 lakhs is made up as follows: Expenditure on technical institute, Rs. 38.58 lakhs. On that, I must say that the Government has lost somewhere in the neighbourhood of Rs. 20 lakhs. This was also magnified a little. Loans to I.C.U. works out to Rs. 24 lakhs, and out of this amonut, the Government has lost roughly Rs. 8 lakhs and not a sum of Rs. 24 lakhs as was said in the House earlier. The stock suspense of Rs. 16 lakhs need not be accounted because this is an amount which is adjusted and it is in the hands of the administrator to be spent as a ways and means advance for the purchase of construction material, etc. The establishment

charges work out to Rs. 14.63 lakhs. The bonus to the workers come to Rs. 16.60 lakhs. The amount of revenue deficit on the Power House comes to about Rs. 9.95 lakhs. All this works out to about Rs. 120 lakhs. There is another amount of Rs. 18 lakhs which we have spent on the construction of schools, hospitals and other useful amenities to be provided in the township. So, in all, the Government has advanced a sum of Rs. 234 lakhs to the Faridabad Board. This is in liquid assets and it will form part of the pool.

Lala Achint Ram: Have you paid anything for education?

Shri J. K. Bhonsle: Yes; separately. It has come to about Rs. 13 lakhs.

Shri Mehr Chand Khanna: We are doing it all over.

Shri J. K. Bhonsle: Basic education is free everywhere. This amount, *viz.*, Rs. 252 lakhs, has been spent on the construction of houses, as I said the other day, 5,158 houses, 133 shops, 150 nissen huts and other construction, acquisition, etc., all these come under this amount of Rs. 252 lakhs.

Shri B. K. Das: Are the Board responsible for all these?

Shri J. K. Bhonsle: Yes.

Now, having given these figures, I might also point out another aspect. Both my hon. friends, Shri Gidwani and Lala Achint Ram, brought out the fact that we are spending much more on Faridabad than on any other township.

Lala Achint Ram: I have not said that.

Shri J. K. Bhonsle: I am sorry. It may be Shri Gidwani. At the moment, in Faridabad, there are 23,000 displaced persons. We have spent, as I have said, Rs. 234 lakhs or, rather, including the expenditure on construction of schools and hospitals, Rs. 252 lakhs. Out of this, Rs. 18 and odd lakhs have to be deducted because that amount has been spent on schools, hospitals and office and other buildings. So, in all, the total amount comes to Rs. 234 lakhs and the figure per family works out to Rs. 4,680. In some of the other townships, we have, on the average, spent Rs. 5,500 and Rs. 5,100. So, it is not correct to say or imagine that Government or the Ministry of Rehabilitation is spending much more money on Faridabad than on other places. I can give the House one or two more examples, but unfortunately, we have not worked out those figures.

The point raised by my hon. friend Shri Gidwani was this. So far as Ulhasnagar is concerned, the Government has so far spent over Rs. 2 crores; but, we have not taken into consideration the land value of Ulhasnagar and the structures which were already there when we took over the camp. The area of the township is 7 square miles....

Shri Gidwani: It has a population of one lakh.

Shri J. K. Bhonsle: Officially the population is 90,00. All these things have been taken into consideration and it could not be correctly said that we are spending much more money on this township and much less money on the other township. We are prepared to work out the whole expenditure and prove to my hon. friend that there can be no question of any discrimination.

As far as industries are concerned, we are prepared to spend as much money as is necessary where the employment problem is very acute. There again, there can be no question of any discrimination. In the case of Faridabad, it may be pointed out that there are more industries, but they were started years ago. Unfortunately for Ulhasnagar, there are very few industrialists who are willing to come forward and set up industries. From that point of view, I would like to assure my hon. friend that if he thinks that Ulhasnagar has not been taken good care of, we shall be prepared to do our best, provided, of course that the industrialists come forward to set up industries there.

[Shri J. K. Bhonsle]

My hon. friend, Lala Achint Ram, referred to the employment question in Lajpat Nagar. The whole employment question is being examined in our Ministry and in the next Five Year Plan we are going to spend Rs. 11:22 crores on industries alone, having sanctioned schemes costing nearly Rs. 2:75 crores during the last five years. Out of Rs. 12 crores, we have set aside Rs. 7:5 crores for medium and small-scale industries and Rs. 3.72 crores for cottage industries. So far as medium-scale industries are concerned, our plans are very extensive. We are going to set up industries in West Bengal in the eastern region as well as in Bombay State, Delhi, Faridabad and in Rajpura and other places in Punjab, where there is very acute unemployment. We are always willing to accept suggestions from hon. Members to the effect that if they feel that in certain places where refugee concentration is very heavy industries should be set up, we are prepared to do so.

So far as the question of Lajpat Nagar goes, I would like to mention here that I am also very interested in it. We have earmarked a sum of Rs. 3.72 crores for cottage industries. This year, if I remember correctly, we have already distributed Rs. 100 lakhs to all the States according to their size for cottage industries. I am taking personal interest in this matter and, as suggested by Pandit Thakur Das Bhargava, we have brought Japanese technicians; we are also proposing to bring the machinery for bamboo works to be set up in West Bengal.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

13-45 hrs.

Lala Achint Ram also mentioned that he did not like outsiders being brought in. As I have already said, we will be only more pleased if the refugees would take up this work themselves. I have already said that we had lost quite heavily so far as the co-operatives are concerned in Faridabad and even now if the displaced persons come forward, there can be no question of outsiders in preference to them.

Lala Achint Ram also made a reference that recovery of the cost of houses should not be made in four years. This has already been discussed in the House and the House passed that rule. I might say, in passing, that our compensation scheme is based on payment of assets in four years and if we do not recover this amount in four years, I am afraid that payment of compensation will have to be delayed much longer.

I have already answered Pandit Bhargava's plea that we are spending more than Rs. 5,000 per family in Faridabad. Actually we are spending much less than that. The Indian Co-operatives Union was given Rs. 24 lakhs and he thought that we had lost the whole lot of money. Actually the Government have sustained a loss of Rs. 8 lakhs. He also suggested that an assurance be given to the employees that their interests would be safeguarded. We would like to be kind to the refugees and we shall consider their case sympathetically. We will look into the individual cases. It might also be understood at the same time that there is over-employment, as my hon. friend Dr. Das suggested. The question of spending money over the townships has to be considered very carefully. From that point of view, we will go into each individual case and safeguard their interests.

It was also pointed out that the Minister gave an assurance two months ago that 600 houses would be allotted to displaced persons there. I do not think it is quite correct. I do not think the Minister ever gave that assurance. We are spending Rs. 5.5 lakhs on providing gainful employment to about 1,500 displaced persons. He suggested that instead of bringing them here, we

might introduce the dole system. We are trying to do away with the dole system. That is a very bad system of giving employment. I am sure that the refugees would be very proud in getting wages rather than doles. I do not think we should encourage this system at all.

I have answered Shri Gidwani's queries. My hon. friend, Shri Moitra, made a suggestion that the question of setting up a corporation in various townships in Bengal may be considered. We shall certainly examine this question carefully in consultation with the Government of West Bengal. He has also suggested that the annual report might be placed on the Table of the House. We have no objection in doing that; on a suitable occasion, the reports will be placed on the Table.

Seth Achal Singh suggested that industry and trade should be encouraged in other towns of Punjab. We are quite willing to examine this proposal. As I have said, where there is acute shortage of employment and very heavy concentration of refugees, Government will certainly encourage the setting up of industries in those areas.

My hon. friend Shri B. K. Das thought that there was too much loss in the electricity plant. It is not quite so. Although we spend Rs. 8 lakhs, somewhere in the neighbourhood of Rs. 3.80 lakhs are recovered. He fears that if the Government is to lose so much money every now and then on this plant, it will be difficult for the Corporation to be self-sufficient. It is not quite correct in a way because, now that we are setting up a number of industries—in all 23 industries are to be set up—all these industries certainly require electricity. We hope to be self-supporting before the end of the Second Five Year Plan. We are already self-supporting in water supply. As I said day before yesterday, we have made up the deficit of Rs. 30,000.

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That the Bill to provide for the establishment and regulation of a trading Corporation for the purpose of carrying on and promoting trade and industry in the town of Faridabad, assisting in the rehabilitation of displaced persons settled therein and for matters connected therewith, be taken into consideration."

The motion was adopted.

Clause 2 to 16 were added to the Bill.

Clause 17— (*Vesting of property in the Corporation*)

Amendment made: Page 5, line 26—

add at the end:

"unless the Central Government otherwise directs in respect of any part of such property, assets or funds".

[*Shri J. K. Bhonsle*]

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That clause 17, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 17, as amended, was added to the Bill.

Classes 18 to 35 and the Schedule were added to the Bill.

Clause 1— (*Short title*)

Amendment made: Page 1, line 6—

for "1955" *substitute* "1956".

—[*Shri J. K. Bhonsle*]

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That clause 1, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause, 1, as amended, was added to the Bill.

Enacting Formula

Amendment made: Page 1, line 1—

for "Sixth Year" *substitute* "Seventh Year".

—[*Shri J. K Bhonsle*]

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That the Enacting Formula, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

The Title was added to the Bill.

Shri J. K. Bhonsle: I beg to move:

"That the Bill, as amended, be passed."

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That the Bill, as amended, be passed."

The motion was adopted.

ADMINISTRATION OF EVACUEE PROPERTY (AMENDMENT) BILL

The Minister of Rehabilitation (Shri Mehr Chand Khanna): Sir, I beg to move:

"That the Bill further to amend the Administration of Evacuee Property Act, 1950, be taken into consideration."

The evacuee property law is an abnormal law. Its introduction became necessary on account of the extraordinary situation created as a result of the Partition. We have been anxious that this law should cease to operate as early as possible. We have taken a number of steps in this direction. In 1953, the provisions relating to intending evacuees were repealed and the procedure for confirmation of sales under section 40 was simplified. In May 1954, several important provisions of the evacuee law were relaxed in the interests of our Muslim nationals. The law itself was abrogated by enacting the necessary legislation, in October, 1954. No person can be declared as evacuee for any action of his after the abrogation of this law, and over two years have elapsed since.

The Ministry was, however, not content even after taking the above step. It was conscious of the fact that as long as the proceedings instituted under the evacuee laws were pending at various levels in the Custodian's organisation, the evacuee parties would remain in a state of uncertainty and suspense as to the outcome. To remove this sense of uncertainty, it was decided that the pending proceedings should be brought to an end with the minimum delay. Early termination of all judicial proceedings would also enable utilisation of these properties which are finally declared as evacuee for the payment of compensation to displaced persons. We have accordingly been keeping a close and continuous watch over the pace of disposal of these proceedings and have repeatedly urged on all officers of the Custodian's organisation to dispose of pending cases with a sense of urgency. They have also been instructed to take a broad and humanitarian view in deciding the case and not to be too narrow or legalistic. Satisfactory results have been achieved and the number of pending cases have been brought down from 90,000 in May, 1955 to about 25,000 at the end of September, 1956.

On a recent review of the working of the evacuee property law, we felt that the time had come when some of its provisions should be relaxed further. After considering the representations made on behalf of some Muslim organisations, certain